

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 02/2022

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी -

मदनलाल पुत्र नेमीचन्द जाति जैन  
निवासी कल्याणपुरा, शिवकर रोड, बाड़मेर  
(मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, पुरानी  
सब्जी मण्डी गढ मंदिर रोड, बाड़मेर का  
मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य  
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, पुरानी सब्जी मण्डी गढ मंदिर रोड, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 02.01.2022 को एक टंकी में लगभग 10-12 किग्रा विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ घी (एक टंकी में लगभग 10-12 कि.ग्रा.), को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार घी (एक टंकी में लगभग 10-12 कि.ग्रा.) में से कुल 2 लीटर वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1477 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी (एक टंकी में लगभग 10-12 कि.ग्रा.) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (एक टंकी में लगभग 10-12 कि.ग्रा.) का नमूना अवमानक (Substandard) पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण उसके विरुद्ध झूठा एवं निहायत तंग एवं परेशान करने की नीयत से, गलत रूप से कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना दर्ज करवाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अपने प्रकरणों की संख्या दर्शाने के आशय से बिना कोई माल व वस्तु का सैम्पल लिए गलत रूप से दूसरा कोई पदार्थ लेकर जांच में भेजा गया और उसमें गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को संलिप्त किया गया है। इस प्रकार यह प्रकरण पोषणीय नहीं होने से विचारणीय नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 24.01.2022 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया। अप्रार्थी ने लिखित में जवाब प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अपने प्रकरणों की संख्या दर्शाने के आशय से बिना कोई माल व वस्तु का सैम्पल लिए गलत रूप से दूसरा कोई पदार्थ लेकर जांच में भेजने और उसमें गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को संलिप्त किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रस्तुत परिवाद घी (एक टंकी में लगभग 10-12 कि.ग्रा.) से संबंधित है, जिसकी प्रयोगशाला जांच में Reichert value न्यूनतम 26.0 के मुकाबले 30.1 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थी ने उक्त खाद्य पदार्थ के अवमानक पाये जाने के तथ्य का अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर


खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 02/2022/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मदनलाल

अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 4,00,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 28.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(उम्मेदसिंह रतनू)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर